भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 590
दिनांक 06.02.2018/17 माघ, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के मामले

†590.श्री जी॰ हरिः
श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबूः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में दंगों/सामुदायिक हिंसा के मामलों में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार दंगों/सांप्रदायिक हिंसा के मामले सूचित किए गए, मारे/घायल लोगों की संख्या कितनी है, कितनी सम्पत्ति को नुकसान हुआ और गिरफ्तार किए गए दोषियों की कुल संख्या कितनी है और इनके विरुद्ध पृथक रूप से क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की है और उन संगठनों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है जो ऐसी हिंसा में लिप्त थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने पुलिस विभाग को आदेश दिया है कि दंगों/सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक स्थलों को दूषित करने के मामलों में सख्त कार्रवाई करे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा निकट भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) से (ग): उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं और उनमें मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्योरा अनुलग्नक-I में संलग्न है।

भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। अपराधों की जांच करने, उन्हें दर्ज करने/अभियोजित करने, अभियुक्त की दोषसिद्धि, जान-माल की सुरक्षा आदि सहित कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा सुसंगत आंकड़े का रख-रखाव करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है।

गिरफ्तार व्यक्तियों/दोषसिद्ध व्यक्तियों, उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई, संलिप्त संगठनों, सम्पत्ति को हुए नुकसान आदि से संबंधित ब्योरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

-2-

<u>लोक सभा अ. प्र. सं. 590</u>

(घ) से (ङ): देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में समय-समय पर आसूचना साझा करने, अलर्ट संदेश और परामर्शी-पत्र भेजने आदि जैसे विभिन्न तरीकों से सहायता पहुंचाती है। केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोधों पर विशेष रूप से सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए गठित कम्पोजिट द्रुत कार्रवाई बल सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भेजती है।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 में सांप्रदायिक सौहार्द संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इन दिशा-निर्देशों का लक्ष्य समुचित सतर्कता बरते जाने, सावधानीपूर्वक योजना तैयार करने तथा तैयारी संबंधी वे उपाय हैं, जो सांप्रदायिक हिंसा की किसी संभावित घटना को रोक सकते हैं और उनका अनुमान लगा सकते हैं। इन दिशा-निर्देशों को तत्काल संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर, विशेषकर विभिन्न धार्मिक उत्सवों से पूर्व परामर्शी-पत्र भेजते समय दोहराया जाता है।

*****

<u>लोक सभा अ. प्र. सं. 590</u>

अनुलग्नक

दिनांक 06.02.2018 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 590 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण जिसमें वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं, मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है।

राज्य	2015			2016			2017		
	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
अं.और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आन्ध्र प्रदेश	4	0	3	1	0	15	1	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	3	0	10	12	3	19	16	4	45
बिहार	71	20	282	65	4	230	85	3	321
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	2	0	10	2	0	6	0	0	0
दिल्ली	5	0	16	7	0	29	3	1	7
दा.और न. हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	55	8	163	53	6	116	50	8	125
हरियाणा	3	0	107	2	0	3	4	1	7
हिमाचल प्रदेश	1	1	4	2	1	1	1	0	33
जम्मू एवं कश्मीर	4	1	9	10	0	11	8	0	19
झारखंड	28	3	118	24	5	110	49	2	204
कर्नाटक	105	8	337	101	12	248	100	9	229
केरल	3	0	3	6	0	10	12	1	28
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	92	9	177	57	3	191	60	9	191
महाराष्ट्र	105	14	323	68	6	234	46	2	136
मणिपुर	0	0	0	7	5	73	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	0	0	0	4	0	36	4	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	1	0	1	1	0	8
राजस्थान	65	5	150	63	5	117	91	12	175
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	3	0	1	8	1	36	11	0	27
तेलंगाना	11	1	27	8	1	9	19	3	44
त्रिपुरा	0	0	0	1	0	27	1	1	8
उत्तर प्रदेश	155	22	419	162	29	488	195	44	542
उत्तराखंड	9	0	21	7	1	59	7	2	5
पश्चिम बंगाल	27	5	84	32	4	252	58	9	230
कुल	751	97	2264	703	86	2321	822	111	2384

*अनंतिम